

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 77/23

तारीख दायर 28/4/23

चौसरदेवी पत्नि सिंगा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी रसदपुरा आरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. सत्तु पुत्र शंकर जाति सेन उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
2. कैलाश पुत्र बंशीलाल जाति बारेठ उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
3. दिनेश पुत्र मोहन जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 23/5/23

प्रार्थना पत्र शिवलाल ने जरिये अभिभाषक श्री पंकज धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम आरोली पटवार हल्का आरोली मे खाता संख्या 59 पर अंकित आराजी संख्या 1128/278 रकबा 1.0522 हे0, आराजी संख्या 1129/278 रकबा 0.1619 हे0, कुल किता 2 रकबा 1.2141 हे0 एवं खाता संख्या 60 पर अंकित आराजी संख्या 1197/278 रकबा 0.8094 हे0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500 /- रुपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम आरोली पटवार हल्का आरोली मे खाता संख्या 59 पर अंकित आराजी संख्या 1128/278 रकबा 1.0522 हे0, आराजी संख्या 1129/278 रकबा 0.1619 हे0, कुल किता 2 रकबा 1.2141 हे0 एवं खाता संख्या 60 पर अंकित आराजी संख्या 1197/278 रकबा 0.8094 हे0 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 77/23
प्रेषिति :- तहसीलदार बिजौलियाँ

तारीख दायर 28/04/23

विषय :- प्रकरण संख्या 77/23 पत्थरगढी बाबत।

चौसरदेवी पत्नि सिंगा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी रसदपुरा आरोली
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. सत्तु पुत्र शंकर जाति सेन उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
2. कैलाश पुत्र बंशीलाल जाति बारेठ उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
3. दिनेश पुत्र मोहन जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम आरोली पटवार हल्का आरोली मे खाता संख्या 59 पर अंकित आराजी संख्या 1128/278 रकबा 1.0522 हे0, आराजी संख्या 1129/278 रकबा 0.1619 हे0, कुल किता 2 रकबा 1.2141 हे0 एंव खाता संख्या 60 पर अंकित आराजी संख्या 1197/278 रकबा 0.8094 हे0 भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/-रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुये पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ भीलवाड़ा